PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Punjab Kesari, Delhi
Thu, 08 Jun 2017, Page 14
Width: 10.89 cms, Height: 13.89 cms, a4, Ref: 44.2017-06-08.23

एफडीआई प्रस्तावों पर 60 दिन के भीतर निर्णय

नई दिल्ली, (भाषा): सरकार ने आज कहा कि एफआईपीबी को खत्म किये जाने के बाद मंत्रालयों को एफडीआई प्रस्तावों पर आवेदन देने की तारीख से 60 दिन के भीतर निर्णय करना होगा और खारिज किये जाने की स्थिति में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की सहमति की आवश्यकता होगी।

पिछले महीने 25 साल पुराने विदेशी निवेश के बारे में परामर्श देने वाला निकाय एफआईपीबी को समाप्त कर दिया। इसका कारण एकल खिड़की मंजूरी के तहत तेजी से मंजूरी देकर अधिक-से-अधिक एफडाआई आकर्षित करने पर नजर है। कार्यालय ज्ञापन ने वित्त मंत्रालय ने कहा कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त करने के बाद संबंधित मंत्रालयों को संबद्ध क्षेत्र में विदेशी निवेश की मंजूरी के लिये कार्य आबंटित कर दिये गये हैं। उद्योग मंत्रालय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों के निपटान के लिये संबंधित मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा और व्यवहार में निरंतरता और रुख में एकरूपता सुनिश्चित करेगा। इसमें कहा गया है कि मानक परिचालन प्रक्रिया :एसओपी: में जरूरत पड़ने पर एफडीआई प्रस्तावों पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श शामिल होगा। जिन एफडीआई आवेदनों पर संबद्ध मंत्रालय को लेकर संदेह होगा, डीआईपीपी मंत्रालय की पहचान करेगा कि आवेदन को कहां निपटाया जाना है। जरूरत पड़ने पर संबद्ध मंत्रालय को मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना होगा।